रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2113] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939
No. 2113] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

का.आ. 2404(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1976 (अ), तारीख 3 जून, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में एक अधिसूचना, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और प्ररूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में जनता और पणधारियों से कोई टिप्पणियां/ आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और, रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है यह 304.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीव जन्तु की समृद्ध जैविकीय महत्व का प्रतिनिधित्व है। इस अभयारण्य में काला भालू (*अरसूस स्प*), भूरा भालू (*अरसूस अरकटोस*), कस्तूरी हिरन (*मोसचचुस स्प),* तेंदुआ *(पेन्थेरा पारडस),* हिमप्रदेशीय तेंदुआ (*पेन्थेरा अनसीअल*), मोनल (*लोपोपोरूस स्प*), चकोर (*अलेकटोरीस चुकर*), आदि;

और, अब इस क्षेत्र का परिक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य के चारों और के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टी से संरक्षित करना आवश्यक हो गया है तथा उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रकियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवयश्क है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 0 मीटर से 15 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन सांगला घाटी (रक्छम-चिटकुल) वन्यजीव अभयारण्य से 0 मीटर से 15 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र में होगा। दक्षिण पश्चिम की ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तराखंड के साथ अंतरराज्यिक सीमा के कारण है और यह गोंविद पाशु राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के साथ सीमा बांटता है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्रफल 464.8 वर्ग किलोमीटर है।

(2) रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन को चिन्हित करते हुए मानचित्र **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर महत्तवपूर्ण स्थानों के भू- उपदर्शकों की सूची **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई ग्राम नहीं आता है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शो का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) इस प्रकार तैयार आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिदिष्ट उपदर्शो के अनुसार होगी और जिसमें पर्यावरणीय विविक्षाएं सम्मिलित होंगी।

(3) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिदिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांतो, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) शहरी विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) सिंचाई;
(ix) लोक निर्माण विभाग; और

(x) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया जाए और उक्त आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का सुधार करेगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडो, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास का विनियमन करेगी ताकि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक अनुकूल विकास का उनके जीवकोपार्जन को सुरक्षित करने के लिए सुनिश्चित किया जा सके।

(10) आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए उसके कृत्यों को अधिसूचिना में दिए गए उपबंधो के संबंध में पूरा करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेजी होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय।

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं;

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक झरनें** – आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग बनेंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक संघटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) सांगला घाटी (रक्छम-चिटकुल) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टो की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिक पर्यटन कार्यकलापो के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजना तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग और हिमाचल प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 अंतर्गत तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** —पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का नियंत्रण और वायु निवारण(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय- समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थी, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) जैविक सामग्री का निपटान पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में पारिस्थितिक संवेदी जोन से बाहर पहचान किए गए किसी स्थल पर किया जा सके ।

(iii) ठोस अपशिष्ट को जलाना या भस्मीकरण और पारिस्थितिक संवेदी जोन में मलबा डालने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, जैव अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 343(अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भस्मीकरण के लिए कोई सामान्य उपचार सुविधा अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ii) व्यष्टिक अस्पताल या प्राइवेट स्थास्थ्य केंद्रों को, जो पहले से ही पारिस्थितिक संवेदी जोन में विद्यमान है, संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल संघात से बचने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट उपचार प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ईलैक्ट्रानिकी–अपशिष्ट.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में ईलैक्ट्रानिकी–अपशिष्ट नियम, 2016, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.—**परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होन तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों औरविनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **औद्योगिक ईकाइयां.—(क)** प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाय विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(16) अगर यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणियां**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।

2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
5.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए सामान्य भष्मीकरण सुविधाओं की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/ठोसा अपशिष्ट के प्रसंस्करण की सुविधा की अनुज्ञात नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापन/अस्पतालों आदि से सृजित ठोस अपशिष्ट के कीसी भी रूप के भष्मीकरण के उपचार की सामान्य या व्यष्टिक सुविधा की संस्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
9.	फर्मों, निगम, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने के वाणिज्यिक पशुपालन और कुक्कुट पालन की स्थापना ।	सिवाय स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
10.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
11.	दुकानदार द्वारा प्लास्टिक के थैला का उपयोग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापना ।	राष्ट्रीय पार्क की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटको के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

		परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन, इनमें से जो भी नजदीक हो, में किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमी में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं, जो पारिस्थितिक पर्यटन की सहायता करती है जिसके अंतर्गत गृह वास है, सम्मिलित हैं; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धन क्रियाकलाप :
15.	ट्रेन्चिंग ग्राउंड।	नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है। ट्रेन्चिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
16.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ अबशिष्टों के बहिर्स्राव के जल निकायों में प्रवेश होने से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुन: चक्रण और पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अबशिष्टों के बहिर्स्राव को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
17.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	भूमिगत जल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
21.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
22.	विद्युत का परिनिर्माण और विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन और संचार टावर तथा केबलों और केबलों को बिछाना और अन्य अवसंरचाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित । भूमिगत केबलीकरण का संवर्धन किया जाएगा।
23.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होगें
24.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ 1 मीटर से ऊंची नहीं होगी । कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	कृषि प्रणाली में आमूल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग, जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।
32.	मछली पकडना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
33.	कूडा-कर्कट डालना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
34.	नेटोर भूमि का अनुदान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
35.	रज्जुमार्ग का संनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
36.	जल परिवहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
37.	विद्यमान प्रतिष्ठापन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

38.	अवसंरचना, जिसके अंतर्गत नागरिक सुविधाएं हैं।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाएगा।
39.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और कार्यकलाप की कठोरता से समुचित प्राधिकारी द्वारा मानीटरी की जाएगी
40.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
41.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
42.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, पशुपालन, और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
43.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषणकारी उद्योग और गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्री से उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
46.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
47.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
48.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि का संवर्धन किया जाएगा ।
49.	कृषि वाणिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
50.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
51.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
52.	निम्नकोटिकृत/वनों/पर्यावासों का प्रत्यावर्तन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
53.	पर्यावरण जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट, किन्नौर - अध्यक्ष;

(ख) पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए वाला एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) गैर सरकारी संगठन का तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(घ) हिमाचल प्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य/सचिव या सदस्य, - सदस्य;

(ड.) कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(च) उप जिला मजिस्ट्रेट, कलपा - सदस्य;

(छ) प्रभागीय वन अधिकारी, राज्य क्षेत्रीय - सदस्य;

(ज) प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) - सदस्य- सदस्य ।

निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति की अवधि इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित काई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होगें। ।

[फा. सं. 25/193/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश का मानचित्र

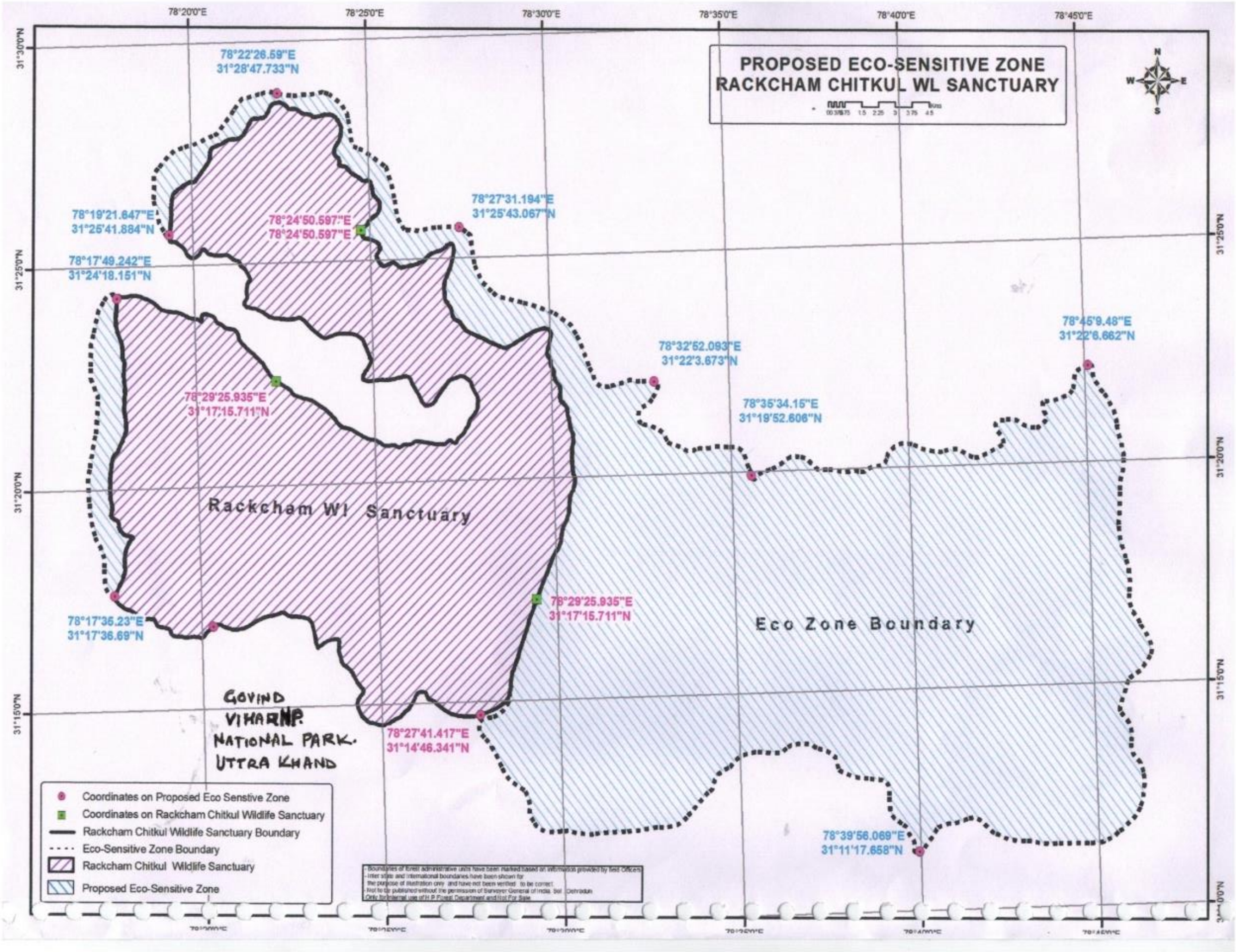

<u>उपाबंध-I (क)</u>

रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू- निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1.	78° 22' 30"	31° 28' 37"
2.	78° 31' 30"	31° 20' 00"
3.	78° 24' 53"	31° 14' 22"
4.	78° 17' 34"	31° 20' 00"

पारिस्थितिक संवेदी जोन में रक्छम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1.	78° 17' 35.23"	31° 17' 36.69"
2.	78°17' 49.242"	31° 24' 18.151"
3.	78° 19' 21.647"	31° 25' 41.884"
4.	78° 22' 26.59"	31° 28' 47.733"
5.	78° 27' 31.194"	31° 25' 43.067"
6.	78° 32' 52.093"	31° 22' 3.673"
7.	78° 35' 34.15"	31° 19' 52.606"
8.	78° 45' 9.48"	31° 22' 6.662"
9.	78° 39' 56.069"	31° 11' 17.658"

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2017

S.O. 2404(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1976 (E), dated 3rd June, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no comments/objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, The Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary is situated in the Kinnaur district of Himachal Pradesh and covers an area of about 304 square kilometres;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The Sanctuary is the habitat of Black Bear (*Ursus sp.,*), Brown Bear (*Ursus arctos*), Musk Deer (*Moschus sp.*), Leopard (*Panthera pardus*), Snow Leopard (*Panthera uncial*), Monal (*Lophophorus sp.*), Chakor (*Alectoris chukar*), etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said eco-sensitive zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the environment (protection) act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (3) of rule 5 of the environment (protection) rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 metres to 15 kilometres around the boundary of Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary in the state of Himachal Pradesh as the Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the eco-sensitive zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 metres to 15 kilometres from the boundary of the Sangla Valley (Rakchham-Chitkul) Wildlife Sanctuary. 0 Eco- Sensitive Zone towards the Southern and South-Western sides is due to interstate boundary with Uttarakhand and shares boundary with Govind Pashu National Park of Uttarakhand. The area of the Eco- sensitive Zone is 464.8 sq. km.

(2) The map of Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The list of Geo Co-ordinates of prominent locations of the boundary of Rakchham-Chitkul Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure II.**

(4) No villages fall within the proposed Eco-Sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:—

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Irrigation;
(ix) Public Works Department; and
(x) Himachal Pradesh State Pollution Control Board.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—
(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-
(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) rain water harvesting; and
(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Himachal Pradesh.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Sangla Valley (Rakchham-Chitkul) Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Bihar State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.—

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343(E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(i) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone;

(ii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco Sensitive Zone should provide adequate waste treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.—The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.—The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Industrial units.—**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

Sl. No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ECO-SENSITIVE ZONE as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
5.	Establishment of new major hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
8.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.

9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
10.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated Activities		
11.	Use of plastic bags by shopkeepers.	Use of plastic bags by shopkeepers are permitted within the Eco Sensitive Zone: Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
12.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:- (d) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) promoted activities listed in this Notification.
15.	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
16.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
17.	Air and Vehicular Pollution	Regulated under applicable laws.
18.	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
19.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.

20.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
21.	Migratory graziers	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
22.	Erection of electrical, insulation of electric lines and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the ECO-SENSITIVE ZONE shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic change of Agriculture system	Regulated under applicable laws
27.	Commercial use of Natural water Resource including Ground water Harvesting	Regulated under applicable laws
28.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
32.	Fishing	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
33.	Muck Dumping.	Regulated under applicable laws.
34.	Grant of Nautor Land	Regulated under applicable laws.
35.	Construction of Ropeways.	Regulated under applicable laws.
36.	Water Transportation.	Regulated under applicable laws.
37.	Existing establishments	Regulated under applicable laws.
38.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
39.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
40.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
41.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws

Promoted Activities		
42.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
43.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
44.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
45.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
46.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
47.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
48.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
49.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
50.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
51.	Skill Development	Shall be actively promoted.
52.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
53.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:—

(a) District Magistrate, Kinnaur —Chairman;

(b) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years —Member;

(c) One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years —Member;

(d) Member Secretary or Member, Himachal Pradesh State Biodiversity Board —Member;

(e) Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board —Member;

(f) Sub District Magistrate, Kalpa —Member;

(g) Divisional Forest Officer, Territorial —Member;

(h) Divisional Forest Officer (Wildlife) —Member Secretary.

Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/193/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Rakchham-Chhitkul Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh

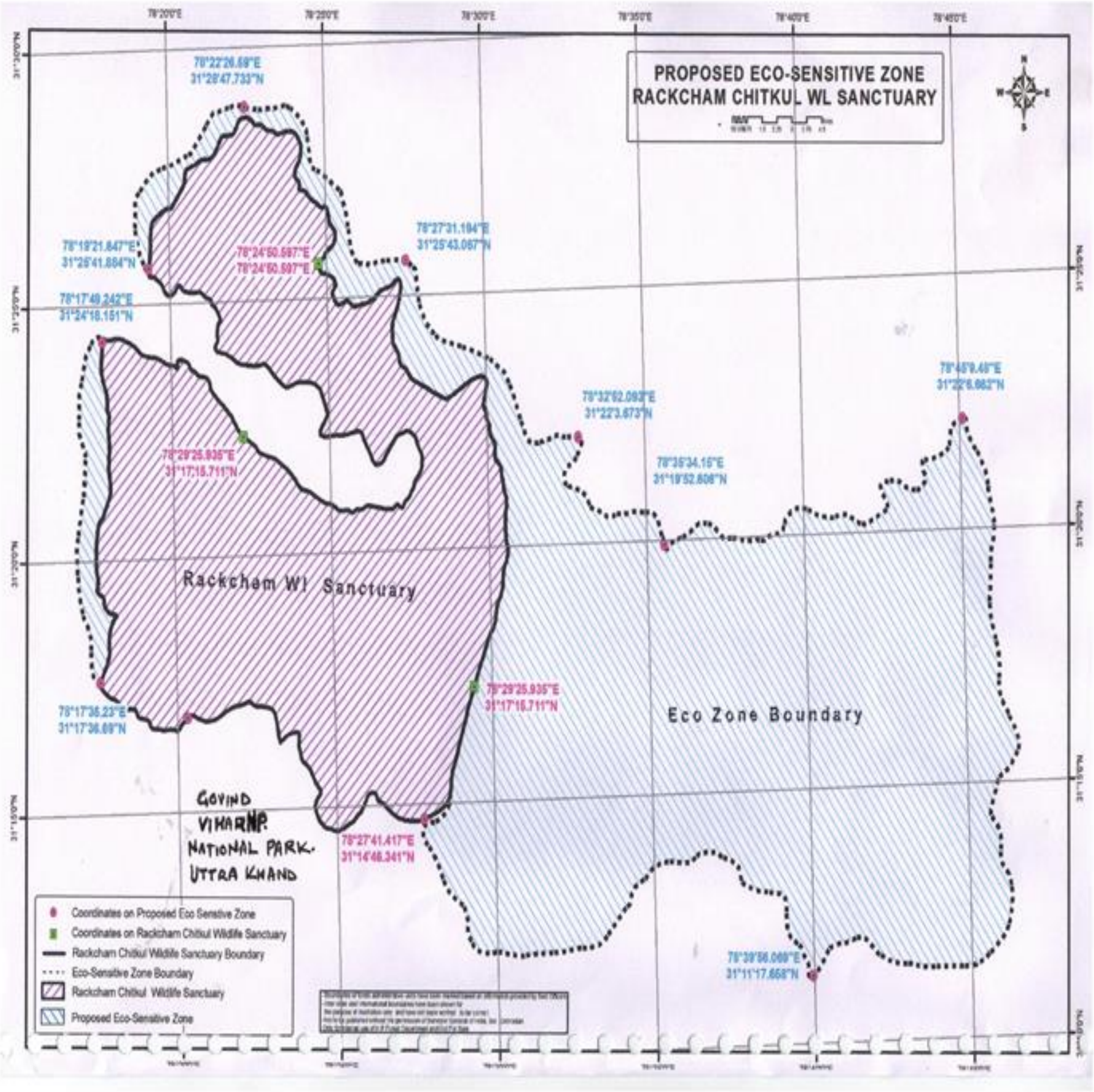

Annexure-I (A)

Geo Co-ordinates of boundary of Rakchham-Chhitkul Wildlife Sanctuary

Sl. No	Latitude	Longitude
1	78° 22' 30"	31° 28' 37"
2	78° 31' 30"	31° 20' 00"
3	78° 24' 53"	31° 14' 22"
4	78° 17' 34"	31° 20' 00"

Geo Co-ordinates of boundary of Eco-Sensitive Zone of Rakchham-Chhitkul Wildlife Sanctuary

Sl. No	Latitude	Longitude
1.	78° 17' 35.23"	31° 17' 36.69"
2.	78°17' 49.242"	31° 24' 18.151"
3.	78° 19' 21.647"	31° 25' 41.884"
4.	78° 22' 26.59"	31° 28' 47.733"
5.	78° 27' 31.194"	31° 25' 43.067"
6.	78° 32' 52.093"	31° 22' 3.673"
7.	78° 35' 34.15"	31° 19' 52.606"
8.	78° 45' 9.48"	31° 22' 6.662"
9.	78° 39' 56.069"	31° 11' 17.658"

Annexure III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of Meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise); Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006; Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006; Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.01 15:25:24 +05'30'